[2022] 7 एस सी आर 425

ए.

के. मदन मोहन राव बनाम

भीमराव बसवंथराव पाटिल और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 6972)

बी.

26 सितंबर, 2022

**[**दिनेश माहेश्वरी और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। VII आर।11 – आवेदन की अनुमति यू/या वी. आई. आई. आर.11 और उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका की अस्वीकृति-तर्कपूर्ण आदेश की अनुपलब्धता-अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-अपीलार्थी ने बताया कि तीन महीने से अधिक समय के बाद भी, तर्कपूर्ण आदेश अभी भी पक्षों के लिए उपलब्ध नहीं है-आयोजितः एक अपील, जिसे कानून या तथ्य के प्रश्न पर प्राथमिकता दी जा सकती है, इस सरल कारण से भी एक खाली औपचारिकता बनी रहेगी कि न तो कानून के प्रश्न का निर्धारण और न ही आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य के किसी भी प्रश्न का निर्धारण। VII आर।11 सी. पी. सी. पक्षकारों के लिए उपलब्ध है-मुकदमे के एक पक्ष से न्यायालय के आदेश के कारणों की उपलब्धता के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, केवल इस कारण से अस्वीकृत होने का हकदार है कि इस तारीख तक भी, उक्त आदेश के कारण किसी भी पक्ष के पास उपलब्ध नहीं हैं और न ही उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और न ही आदेश की प्रति प्रदान की गई है, जबकि पक्षकारों ने आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किए हैं-विवादित आदेश को अपास्त करना दिया गया है और मामले को पुनर्विचार के लिए बहाल कर दिया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगदेव सिंह तलवंडी

**(1984) 1** एससीसी **596:[1984] 2** एस**.** सी**.** आर**. 50-**अनुसरण किया गया।अनिल राय बनाम बिहार राज्य **(2001) 7** एससीसी **318:[2001] 1** पूरक।एससीआर **298-** पर भरोसा किया गया।

संदर्भित निर्णय

जी.

**[2001] 1** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 298** पैरा **9 [1984] 2** एस**.** सी**.** आर**. 50** पर निर्भर था।

पीछा किया।

पैरा **9**

एच.

425 ए.

426

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 6972।

हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.06.2022 से I. A. संख्या 1/2020 में चुनाव याचिका संख्या 34/2019 में।

बी.

डॉ. ए. एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, आर. आनंद पद्मनाभन, शशि भूषण कुमार, अधिवक्तागण अपीलार्थी  के लिए।

हरिन पी. रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मोनालिसा कोसरिया, बी. श्रवण शंकर, बी. यशवंत राज, श्रीनिवास राव, एन. मनोहर, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.**

1. विवादित आदेश (2022 का आई. ए. सं. 136063 और 2021 का आई. ए. सं. 136061) के बिना विवादित आदेश दाखिल करने और याचिका दायर करने से छूट की मांग करने वाले आवेदनों की अनुमति है।2. छुट्टी दे दी गई।

डी.

3. इस अपील में, अनिवार्य रूप से हमारे सामने पेश की गई शिकायत यह है कि हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय में वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दायर चुनाव याचिका में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सी. पी. सी.') के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन को काफी देरी के बाद विचार के लिए लिया गया था और, लंबी सुनवाई के बाद, अंततः, आदेश 15.06.2022 पर घोषित किया गया था, जिसमें कथित रूप से आवेदन को अनुमति दी गई थी और वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन तब, आवेदन को अनुमति देने वाला तर्कपूर्ण आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं है।

ई.

एफ.

4. विचार के लिए लिए जा रहे मामले पर, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी यानी प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से कैविएट में पेश हुए हैं।

5. प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह बताया कि इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या 15 और 16 को उच्च न्यायालय द्वारा 17.02.2020 पर पारित आदेश द्वारा पक्षों की श्रृंखला से हटाने का आदेश दिया गया था।प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया जाता है।अन्यथा भी, इस अपील की विषय वस्तु को देखते हुए, अन्य उत्तरदाताओं पर नोटिस की सेवा आवश्यक नहीं लगती है और इसे हटा दिया जाता है।

जी.

एच.

427

के. मदन मोहन राव बनाम भीमराओ बसवंतराव पाटिल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]
ए.

ए.

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से, हमने आखिरकार इस स्तर पर ही मामले की सुनवाई की है।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी ने चुनाव याचिका में कार्यवाही से संबंधित पृष्ठभूमि पहलुओं का उल्लेख विद्वान है और इस तथ्य का भी उल्लेख विद्वान है कि देरी के कारण, अपीलार्थी ने पहले 2021 के एसएलपी (सी) संख्या 4518 में इस

न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां इस न्यायालय ने अपीलार्थी को अपने दिनांक 1 के आदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अनुरोध करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी।

बी.

8. यह बताया गया है कि उक्त आदेश दिनांक 26.03.2021 और उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किए जाने के बाद, मामले को एक अन्य माननीय न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था और आगे बढ़ाया गया था, लेकिन फिर, आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन पर सुनवाई में ही सुनवाई की कई तारीखों के साथ लंबा समय लगा; आदेश 22.12.2021 पर सुरक्षित रखा गया था; पक्षों ने जनवरी, 2022 के पहले सप्ताह में लिखित प्रस्तुतियाँ दायर कीं; और फिर, मामले को फिर से 01.04.2022 पर सूचीबद्ध किया गया और फिर से सुरक्षित कर लिया गया।यह इंगित किया गया है कि अंततः, आदेश को माननीय न्यायाधीश द्वारा 15.06.2022 पर मौखिक रूप से सुनाया गया था, लेकिन यह केवल परिणाम की घोषणा थी और पक्षों को कोई तर्कपूर्ण आदेश नहीं दिया गया था।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि तीन महीने से अधिक समय के बाद भी, तर्कपूर्ण आदेश अभी भी पक्षों के लिए उपलब्ध नहीं है।

सी.

डी.

ई.

9. डॉ. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विशेष रूप से (2001) 7 एस. सी. सी. 318 में रिपोर्ट किए गए "अनिल राय बनाम बिहार राज्य" के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 10 (वी) और "राज्य" के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 30 और 31 का उल्लेख विद्वान है।

पंजाब और अन्य बनाम जगदेव सिंह तलवंडी की रिपोर्ट (1984)

एफ.

1 एस. सी. सी. 596 ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, विवादित आदेश बिना किसी कारण के हस्तक्षेप करने का हकदार है।

10. श्री रावल, प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने, सबसे पहले, प्रस्तुत विद्वान है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ('1951 का अधिनियम') की योजना में, विशेष रूप से इसकी धारा 116 ए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ एक अपील है और एक उचित रूप से गठित अपील को प्राथमिकता नहीं दी गई है, मामले को विशेष अनुमति द्वारा अपील के माध्यम से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी उल्लेख किया है

उपरोक्त निर्णय, और अनिल राय (उपर्युक्त) के मामले में पैराग्राफ 2 पर भरोसा करते हुए, तर्क दिया गया है कि मौलिक सिद्धांत पर, न्यायालय के एक अधिनियम को किसी को भी पूर्वाग्रहित नहीं करना चाहिए और इसलिए, प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी के हित के खिलाफ कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब उसके आवेदन पर विचार किया गया हो और गुण-दोष के आधार पर अनुमति दी गई हो।विद्वान वरिष्ठ वकील ने अनिल राय (उपरोक्त) में निर्णय के अनुच्छेद 36 के संदर्भ में यह भी प्रस्तुत विद्वान है कि किसी भी मामले में, इस न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए संदर्भित कुछ टिप्पणियों के बावजूद उसमें आक्षेपित आदेशों को नहीं बदला।

बी.

11. जहां तक जगदेव सिंह तलवंडी (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ के फैसले का संबंध है, प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या मानव गरिमा को प्रभावित करने वाले अन्य अधिकारों से संबंधित मामलों से संबंधित टिप्पणियों को हर मामले या हर कारण पर लागू नहीं विद्वान जा सकता है।विद्वान अधिवक्ता का बल रहा है कि किसी भी मामले में, इस मोड़ पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है जब उच्च न्यायालय ने आवेदन की सुनवाई में समय दिया है और वास्तव में आदेश सुनाया है, भले ही कारणों की प्रतीक्षा की जाए।

सी.

डी.

12. वर्तमान में स्थिति की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आपत्ति व्यक्त करने पर कि 15.06.2022 पर परिणाम घोषित होने के बाद भी, निर्णय के कारण इस समय तक सामने नहीं आ रहे हैं जब इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर, 2022 को की जा रही है; और हमारा प्रथम दृष्टया विचार है कि विवादित आदेश को केवल कारणों के अभाव में अपास्त करना जाना चाहिए, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने निर्देश लेने के बाद प्रस्तुत विद्वान है कि किसी भी मामले में, चुनाव लड़ने वाले प्रत्यर्थी के पास आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर बहस करने के लिए एक मजबूत मामला है और वह सहयोग करने के लिए तैयार होगा, भले ही आवेदन को नए सिरे से विचार के लिए निर्धारित विद्वान गया हो।

ई.

एफ.

13. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और 23.05.2019 पर आयोजित चुनावों के संबंध में वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दायर चुनाव याचिका से संबंधित इस मामले की परिस्थितियों की समग्रता पर ध्यान दिया है।

जी.

14. 1951 के अधिनियम की धारा 86 (7) के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अलावा, शीघ्र कार्यवाही और प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने के भीतर चुनाव याचिका के मुकदमे के समापन के अलावा, यह अन्यथा निर्विवाद है कि यह मुकदमा, अपनी प्रकृति से, त्वरित कार्यवाही की मांग करता है, जबकि उसी से निपटने वाले न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट प्राथमिकता दी जाती है।

एच.


ए.

ए.

15. वर्तमान मामले में, हमें पिछली कार्यवाहियों का उल्लेख करना या विस्तार करना आवश्यक नहीं लगता है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा 21.03.2021 पर पारित आदेश भी शामिल है, लेकिन इस स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि 15.06.2022 पर आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर परिणाम घोषित करने के बाद भी, तर्कपूर्ण आदेश इस तारीख तक पक्षों के लिए उपलब्ध नहीं है।

बी.

16. जगदेव सिंह तलवंडी के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में उचित अनुपालन के लिए अपनी अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा हैः

“30. हम इस अवसर पर यह इंगित करना चाहते हैं कि उच्च न्यायालयों द्वारा बिना किसी तर्कपूर्ण निर्णय के अंतिम आदेश देने की प्रथा के कारण गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।यह वांछनीय है कि जिस अंतिम आदेश को उच्च न्यायालय पारित करना चाहता है, उसकी घोषणा तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि एक तर्कपूर्ण निर्णय घोषणा के लिए तैयार न हो जाए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी तर्कपूर्ण निर्णय के एक अंतिम आदेश की घोषणा की जाती है कि एक घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, या कि एक बच्चे की अभिरक्षा दूसरे के खिलाफ एक माता-पिता को सौंप दी जाएगी, या कि एक गंभीर आरोप का

आरोपी व्यक्ति बरी हो जाता है, या कि एक क़ानून असंवैधानिक है या, तत्काल मामले में, कि एक बंदी को निरोध से रिहा किया जाए।यदि ऐसे आदेशों को पारित करने का उद्देश्य उनका शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करना है, तो उस उद्देश्य को अक्सर पीड़ित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने से विफल कर दिया जाता है।यह इस न्यायालय को एक संकट में डालता है क्योंकि उच्च न्यायालय के तर्क के लाभ के बिना, इस न्यायालय के लिए नंगे आदेश को लागू करने की अनुमति देना मुश्किल है। परिणाम अनिवार्य रूप से यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संचालन पर तर्कपूर्ण निर्णय दिए जाने तक रोक लगानी होगी।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

17. अनिल राय के मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने निर्णय/आदेशों की घोषणा के संबंध में कुछ बुनियादी दिशानिर्देश प्रदान किए, जबकि सभी संबंधित लोगों द्वारा उनका पालन किए जाने की उम्मीद की गई।इसमें, अन्य बातों के अलावा, निर्दिष्ट अनुच्छेद 10 (v) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहाः-

जी.

"(वी)।यदि किसी भी कारण से निर्णय छह महीने की अवधि के भीतर नहीं सुनाया जाता है, तो उक्त न्यायाधीशों में से कोई भी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने का हकदार होगा।

एच.



उच्च न्यायालय ने उक्त मामले को वापस लेने और नई दलीलों के लिए इसे किसी अन्य पीठ को सौंपने के अनुरोध के साथ।यह मुख्य न्यायाधीश के लिए खुला है कि वह उक्त प्रार्थना को मंजूरी दे या कोई अन्य आदेश पारित कर सके जो वह दायरे में उचित समझता है।"

18. यद्यपि विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थियों के लिए कई अन्य प्रस्तुतियाँ करने की मांग की जाती है जो या तो उपरोक्त निर्णयों में अंतर करना चाहते हैं या यह सुझाव देना चाहते हैं कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति के लिए उदाहरण के रूप में सीधे लागू नहीं होते हैं,

लेकिन हमारा विचार है कि उनमें दिशानिर्देश और टिप्पणियां न्यायालय के समक्ष किसी भी कारण से न्याय के वितरण के लिए मौलिक हैं और उसमें निर्धारित सिद्धांत को आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू करने की आवश्यकता है, जो किसी विशेष मामले की दी विद्वान  तथ्य स्थिति में आवश्यक हो सकता है।

बी.

सी.

19. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्तमान में प्राप्त स्थिति यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की घोषणा के तीन महीने से अधिक समय बाद भी, कारण सामने नहीं आ रहे हैं और किसी भी पक्ष के पास उपलब्ध नहीं हैं।मुकदमे की प्रकृति और समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, हमें इस स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल लगता है।

डी.

20. भले ही हम इस न्यायालय में अपील के उपचार की उपलब्धता के बारे में उत्तरदाताओं की ओर से की गई दलीलों को ध्यान में रखते हैं, हमारे विचार में, ऐसी अपील, जिसे कानून या तथ्य के प्रश्न/ओं पर प्राथमिकता दी जा सकती है, भी इस साधारण कारण से एक खाली औपचारिकता बनी रहेगी कि आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा न तो कानून के प्रश्न का निर्धारण और न ही तथ्य के किसी प्रश्न का निर्धारण पक्षों के लिए उपलब्ध है।इसकी निरंतरता में, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि मुकदमे के किसी पक्ष से न्यायालय के आदेश के कारणों की उपलब्धता के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।इसके अलावा, जब मामला 1951 के अधिनियम के तहत चुनाव याचिका से संबंधित है, जो अपने आप में एक समय-संवेदनशील मामला है, तो हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिलता है कि अपीलार्थी  को इस मामले में 1951 के अधिनियम की धारा 116 ए के तहत अपील के वैधानिक उपचार के लिए हटा दिया जाए।

ई.

एफ.

जी.

21. ऐसा कहने के बाद, हम यह निर्देश लेने के बाद कि प्रत्यर्थी  उच्च न्यायालय के समक्ष मामले पर नए सिरे से बहस करने के लिए तैयार और तैयार है, यदि इस न्यायालय द्वारा विवादित आदेश को मंजूरी नहीं दी जाती है, चुनाव लड़ने वाले प्रत्यर्थी  की ओर से विद्वान  वरिष्ठ वकील द्वारा लिए गए निष्पक्ष रुख के लिए मामले के गुण-दोष पर ध्यान देने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

एच.

के. मदन मोहन राव बनाम भीमराओ बसवंतराव पाटिल और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

ए.

22. ऊपर जो देखा गया है और चर्चा की गई है, उसके लिए हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन के निपटारे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश केवल इस कारण से अस्वीकृत होने का हकदार है कि इस तारीख तक, उक्त आदेश के कारण किसी भी पक्ष के पास उपलब्ध नहीं हैं और न ही उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और न ही आदेश की प्रति प्रदान की गई है, जबकि पक्षकारों ने आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किए हैं।

बी.

23. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में और वर्तमान मामले की विषम परिस्थितियों और बल्कि अप्रिय स्थिति में, हम इसे उचित, बल्कि आवश्यक मानते हैं, कि विवादित आदेश को अपास्त करना दिया जाए और मामले को 2019 की चुनाव याचिका संख्या 34 में 2020 की आई. ए. संख्या 1 के आवेदन पर फिर से विचार करने के लिए बहाल किया जाए।

सी.

24. विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम यह भी उचित समझते हैं कि इस आदेश और पूरे मामले को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवश्यक आदेशों के लिए रखा जाए, जो इस आदेश के अनुसार और कानून के अनुसार मामले से निपटने के लिए उचित समनुदेशन आदेश जारी कर सकते हैं।

डी.

25. पक्ष अपने संबंधित वकील के माध्यम से 10.10.2022 पर उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस पर खड़े होंगे।

ई.

26. यह कहने की जरूरत नहीं है कि हमने मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह से विचार नहीं किया है और सभी पहलू कानून के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए खुले हैं।

27. अपील की अनुमति ऊपर बताए गए तरीके और सीमा तक दी गई है।

एफ.

28. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

जी.

एच.